सीगा **धारा 6ए** आवश्यक वस्तु अधिनियम **प्रकरण संख्या 126/2019** (RCMS **2019/00213**) अनवान् **सरकार** बनाम **श्री मोहन लाल** पुत्र श्याम लाल मार्फत मैसर्स बबलू गैस सर्विस, बीकानेर रोड़, सिटी पुलिस थाने के सामने, सूरतगढ़

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री संदीप गौड़ उपस्थित है। अप्रार्थी अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि दिनांक 07.09.2019 को अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग की सूचना मिलने पर श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, सूरतगढ हमराह श्री अशोक, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीगंगानगर तहसील सूरतगढ में बीकानेर रोड, सिटी पुलिस थाने के सामने स्थित मै. राज टायर पंचर एण्ड गैस वैल्डिंग पर जांच हेतु पहुंचे। जांच के दौरान मौके पर दुकानदार द्वारा एलपीजी चूल्हे आदि रिपेयर व विक्रय करने का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी श्री मोहन लाल कार्य की एवज में उपभोक्ताओं से राशि वसूली की जा रही थी। इस दौरान पांच घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर (एस.आर.न. 406498, 0469276, 127065, 271199, 338357) का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण उक्त पांच घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा व 1 रिफिलिंग पाईप जब्त किये गये थे। इस प्रकार घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (Regulation of Supply and Distribution order 2000 क्लॉज 3(1) (बी)(सी) व 7 (1) (सी) की अवहेलना करने के कारण उक्त जब्त शुदा गैस सिलेण्डर (एस.आर.न.406498,0469276, 127065, 271199, 338357),

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा व 1 रिफिलिंग पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने योग्य है।

अप्रार्थी मोहन लाल को इस कार्यालय के पत्रांक 1138 दिनांक 03.10.2019 से नोटिस जारी कर तलब किया गया था, जिसकी दिनांक 11.10.2019 को उस पर विधिवत् तामील हो चुकी है। अप्रार्थी को नोटिस की विधिवत् तामील के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही कोई जवाब, साक्ष्य आदि पेश हुए है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.09.2019 को अनुदानि गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग की सूचना मिलने मै. राज टायर पंचर एण्ड गैस वैल्डिंग पर जांच हेतु पहुंचे। जांच के दौरान मौके पर दुकानदार द्वारा एलपीजी चूल्हे आदि रिपेयर व विक्रय करने का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी श्री मोहन लाल कार्य की एवज में उपभोक्ताओं से राशि वसूली की जा रही थी। जांच के दौरान पांच घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर (एस.आर.न. 406498, 0469276, 127065, 271199, 338357) का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण उक्त पांच घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा व 1 रिफिलिंग पाईप जब्त किये गये थे। घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (Regulation of Supply and Distribution order 2000 क्लॉज 3(1) (बी)(सी) व 7 (1) (सी) की अवहेलना करने के कारण उक्त जब्त शुदा गैस सिलेण्डर (एस.आर.न. 406498, 0469276, 127065, 271199, 338357), 1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा व

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1 रिफिलिंग पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी मोहन लाल – मै. बबलू गैस सर्विस से जब्तशुदा 5 अनुदानित गैस सिलेण्डर (एस.आर. न. 406498, 0469276, 127065, 271199, 338357), 1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा व 1 रिफिलिंग पाईप राजसात किये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर